भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1253

उत्तर देने की तारीख: 30.07.2024

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार

1253. डॉ. विनोद कुमार बिंद :
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार को अधिक सुलभ बना रही है;

(ख) यदि हां, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार को अधिक सुलभ बनाने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिव्यांगता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) और (ख): शिक्षा को और अधिक सुगम्य बनाने के लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश और मानक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए शैक्षिक संस्थानों के लिए सुगम्यता कोड एवं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शैक्षिक संस्थानों के लिए सुगम्यता कोड क्रमशः आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2017 के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

इसके अलावा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम-समग्र शिक्षा योजना शुरू की है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (सीडब्ल्यूएसएन के लिए आईई) हेतु एक समर्पित घटक है, ताकि पूर्ण समानता और समावेश इस तरह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चे स्कूलों में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम हो सकें। इस योजना का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 वीं तक की शिक्षा को जारी रखना है। यह योजना **दिव्यांगजन** अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की दिव्यांगताओं की अनुसूची में उल्लिखित एक या अधिक दिव्यांगता वाले सभी सीडब्ल्यूएसएन को कवर करती है। समग्र शिक्षा योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से लागू की जा रही है और केन्द्र सरकार इसके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सीडब्ल्यूएसएन घटक के लिए समावेशी शिक्षा के माध्यम से, सीडब्ल्यूएसएन हेतु विभिन्न प्रावधान उपलब्ध कराए जाते हैं जैसे कि पहचान और मूल्यांकन शिविर (ब्लॉक स्तर पर), छात्र विशिष्ट हस्तक्षेप प्रति सीडब्ल्यूएसएन प्रति वर्ष 3500/- रुपये की दर से सहायता के लिए, जैसे कि गंभीर और बहु **दिव्यांग**ता वाले बच्चे जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं उनके लिए सहायक यंत्र, साधन, सहायक उपकरण, शिक्षण-अधिगम सामग्री, ब्रेल किताबें, बड़े प्रिंट वाली किताब देने के लिए। समग्र शिक्षा का केंद्र बिंदु (फोकस) सीडब्ल्यूएसएन को समावेशी शिक्षा प्रदान करने पर है, जिसमें बच्चे अपनी क्षमताओं / दिव्यांगताओं की परवाह किए बिना भाग लेते हैं और एक ही कक्षा में एक साथ सीखते हैं, इस प्रकार सभी छात्रों के लिए एक समान सक्षम शैक्षिक वातावरण का सृजन करते हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 17 (झ) में **दिव्यांग** छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए परीक्षा को पूरा करने हेतु अतिरिक्त समय तथा दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट प्रदान करने के माध्यम से पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन करने का प्रावधान है। इसे ध्यान में रखते हुए, सीबीएसई **दिव्यांग** छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के प्रति संवेदनशील होने के नाते दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित किए गए अनुसार मूक-बधिरों सहित सीडब्ल्यूएसएन को कई छूट/रियायतें प्रदान करता है जैसे कि चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी, स्क्राइब और प्रतिपूरक समय की सुविधा, स्क्राइब की नियुक्ति और संबंधित निर्देश, दसवीं कक्षा के लिए शुल्क और विशेष छूट जैसे तीसरी भाषा से छूट, विषयों के चयन में लचीलापन, वैकल्पिक प्रश्न/पृथक प्रश्न और बारहवीं कक्षा के लिए विशेष छूट जैसे विषयों के चयन में लचीलापन, पृथक प्रश्न पत्र और व्यावहारिक घटक के स्थान पर प्रश्न।

इसके अलावा, **दिव्यांगजन** सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) **दिव्यांगजन**ों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) लागू कर रहा है, जिसे मार्च, 2015 में शुरू किया गया था। एनएपी को समग्र (अम्ब्रेला) योजना - " **दिव्यांगजन** अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)" के तहत लागू किया गया है। एनएपी के अंतर्गत, 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के **दिव्यांगजन**ों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी और बाद में यथा संशोधित सामान्य मानदंड दिशानिर्देशों के अनुसार निधियां जारी की जाती हैं। विभाग ने हाल ही में पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल का लिंक https://pmdaksh.depwd.gov.in/login पर उपलब्ध है। इस पोर्टल के तहत, दो मॉड्यूल हैं: –

(i) दिव्यांगजन कौशल विकास : – देश भर में इस पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

(ii) दिव्यांगजन रोजगार सेतु:- इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य दिव्यांगजनों और दिव्यांगजनों के लिए रोजगार रखने वाले नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करना है। यह मंच पूरे भारत में निजी कंपनियों के साथ-साथ दिव्यांगजनों में रोजगार / कमाई के अवसरों पर जियो-टैग आधारित जानकारी प्रदान करता है।

(ग): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पूरे देश में सिपडा योजना के तहत एक घटक के रूप में ''जागरूकता सृजन और प्रचार योजना'' लागू कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जागरूकता सृजन करना और दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में कर्मचारियों और सहकर्मी समूहों के बीच जागरूकता सृजन के उद्देश्य से राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर की कार्यशालाओं के माध्यम से दिव्यांगता संबंधी मामलों पर नियमित आधार पर केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाना है।

*****